A052-20232024-002-1739055

संख्या-69/2023/1108/52-1-2023-05(पी0एम0जे0वी0के0)/2023

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 20 अक्टूबर, 2023

विषय- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों की निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं की द्वितीय किश्त/द्वितीय किश्त की अवशेष **राज्यांश की धनराशि अवमुक्त** किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-2066/अ0सं0क0नि0/पी0एम0जे0वी0के0/धन0मांग-(330/4)/2022 दिनांक 26.07.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा विषयांकित परियोजना की द्वितीय किश्त/द्वितीय किश्त की अवशेष राज्यांश की धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों की निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं की द्वितीय किश्त/द्वितीय किश्त की अवशेष राज्यांश की धनराशि **रू0 740.1845 लाख (रू0 सात करोड़ चालीस लाख अट्ठारह हजार चार सौ पचास मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में तालिका के स्तम्भ-11 में उल्लिखित संगत लेखाशीर्ष तथा सतम्भ-10 में बजट प्राविधान के सापेक्ष अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

http://shasanadesh.up.gov.in

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	कार्यदायी संस्था का चयन	परियोजना हेतु अब तक निर्गत कुल धन0 (के0+रा0)	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि			बजट प्राविधान	लेखा शीर्षक
						के0	रा0	कुल (रा0)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अमेठी	वि0ख0 जगदीशपुर के रा0इ0का0 में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण	13.2000	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0	6.6000	0.00	2.6400	2.6400	2666.67	4235-02-800-89-8909
2	बागपत	विकास खण्ड-पिलाना में 37 प्राइमरी/जू0 हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	137.6400	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0	18.6000	0.00	7.4405	7.4405	259.99	4235-02-800-89-8908
3	मुरादाबाद	विकास खण्ड-भगतपुर टाण्डा के भोजपुर धर्मपुर के प्राइमरी स्कूल में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	5.6000	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0	2.8000	0.00	1.1200	1.1200	465.95	4235-02-800-89-8907
4	मुरादाबाद	विकास खण्ड-मुरादाबाद के सलीमपुर बांगर के प्राइमरी स्कूल में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	5.6000	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0	2.8000	0.00	1.1200	1.1200	465.95	4235-02-800-89-8907
5	मुरादाबाद	विकास खण्ड-दिलारी के बुरहानपुर के प्राइमरी स्कूल में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	11.2000	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0	5.6000	0.00	2.2400	2.2400	465.95	4235-02-800-89-8907

http://shasanadesh.up.gov.in

6	मुरादाबाद	विकास खण्ड-दिलारी के मलकपुर सेमली के प्राइमरी स्कूल में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	11.2000	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0	5.6000	0.00	2.2400	2.2400	465.95	4235-02-800-89-8907
7	मुरादाबाद	विकास खण्ड-दिलारी के सुल्तानपुर मुण्डा के प्राइमरी स्कूल में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	11.2000	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0	5.6000	0.00	2.2400	2.2400	465.95	4235-02-800-89-8907
8	मुरादाबाद	विकास खण्ड-कुन्दरकी के रूपपुर के प्राइमरी स्कूल में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	11.2000	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0	5.6000	0.00	2.2400	2.2400	465.95	4235-02-800-89-8907
9	मुरादाबाद	विकास खण्ड-मुरादाबाद के अक्का शाहपुर के प्राइमरी स्कूल में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	11.2000	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0	5.6000	0.00	2.2400	2.2400	465.95	4235-02-800-89-8907
10	मुरादाबाद	विकास खण्ड-मुरादाबाद के बंसतपुर रामराय के प्राइमरी स्कूल में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	11.2000	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0	5.6000	0.00	2.2400	2.2400	465.95	4235-02-800-89-8907
11	मुरादाबाद	विकास खण्ड-दिलारी के सदरपुर के प्राइमरी स्कूल में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	16.8000	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0	8.4000	0.00	3.3600	3.3600	465.95	4235-02-800-89-8907
12	मेरठ	विकास खण्ड-परीक्षित गढ़ में 02 प्राइमरी/जू0 हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्षा-	18.6000	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0	3.7200	0.00	1.4880	1.4880	259.99	4235-02-800-89-8908

http://shasanadesh.up.gov.in

		कक्षों का निर्माण								
13	मेरठ	विकास खण्ड-टाउन मवाना में 03 प्राइमरी/जू0 हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	22.3200	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0	3.7200	0.00	1.4880	1.4880	259.99	4235-02-800-89-8908
14	मेरठ	विकास खण्ड-खरखौदा में प्राइमरी/जू0 हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	63.2400	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0	16.7400	0.00	6.6960	6.6960	259.99	4235-02-800-89-8908
15	मेरठ	जिला मुख्यालय मेरठ के राजकीय इण्टर कालेज में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	96.7000	उ0प्र वक्फ विकास निगम	48.3500	0.00	19.3400	19.3400	2666.67	4235-02-800-89-8909
16	सीतापुर	लहरपुर के रा0 बालिका इण्टर कालेज में परीक्षा कक्ष का निर्माण	14.2900	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	7.1500	0.00	2.8600	2.8600	2666.67	4235-02-800-89-8909
17	सुल्तानपुर	वि0ख0 कुरवर के तीन प्राइमरी स्कूलों में अति0 कक्षा-कक्ष	32.0400	सी0एण्ड डी0एस	16.0300	0.00	4.0000	4.0000	465.95	4235-02-800-89-8907
18	सुल्तानपुर	वि0ख0 दुबेपुर के तीन जू0 हाई स्कूलों में अति0 कक्षा-कक्ष	32.0400	सी0एण्ड डी0एस	16.0200	0.00	4.0050	4.0050	259.99	4235-02-800-89-8908
19	हापुड़	जनपद हापुड़ के इथरोनी सिखेड़ा चमरी डासना और पलवारा में होम्योपैथिक चिकित्सालय	75.0000	सी0एण्ड डी0एस	67.5100	0.00	1.1250	1.1250	2000.00	4235-02-800-89-8906
20	हापुड़	ब्लाक-गढ़मुक्तेश्वर में राजकीय होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी का	32.6600	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ	16.3300	0.00	6.5320	6.5320	2000.00	4235-02-800-89-8906

http://shasanadesh.up.gov.in

		निर्माण		लि0						
21	अमेठी	वि0ख0-सिंहपुर के इन्होना में राजकीय आई0टी0आई0 का निर्माण	780.3800	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	390.1900	0.00	140.1900	140.1900	7000.00	4235-02-800 -89-8905
22	अमेठी	वि0ख0- बहादुरपुर के तेन्दुआ में राजकीय आई0टी0आई0 का निर्माण	782.4000	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	391.2000	0.00	141.2000	141.2000	7000.00	4235-02-800 -89-8905
23	अमेठी	वि0ख0- जगदीशपुर के कठौरा में राजकीय आई0टी0आई0 का निर्माण	887.4800	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	443.7400	0.00	193.7400	193.7400	7000.00	4235-02-800 -89-8905
24	आजमगढ़	मिर्जापुर के फूलपुर में बालिका डिग्री कालेज का निर्माण	942.000	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	471.0000	0.00	188.4000	188.4000	3000.00	4235-02-800 -89-8918
					1964.5000	**0.0000**	**740.1845**	**740.1845**		

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17.03.2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- प्रश्नगत राज्यांश की धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तत्सम्बन्धी मैचिंग केन्दांश अवमुक्त है।

(3)- प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व निर्गत किया गया राज्यांश कोषागार से आहरित नहीं किया गया है।

(4)- प्रश्नगत योजनान्तर्गत केन्द्रांश उपलब्ध है, यह सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5)- प्रश्नगत योजना पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)- प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपरोक्त तालिका के कॉलम-5 में अंकित कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 की होगी।

(10) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(11) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(12)- उपरोक्त स्वीकृति विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन अनिवार्यत: सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(14) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(15) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(17) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(18) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।

(19) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

(20) केन्द्रपोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि के वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑफिस मेमोरेन्डम संख्या-I/(33)/PFMS/2022 दिनांक 20 मई, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

(21) योजनान्तर्गत बाटआउट्स आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा ।

(22)- प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश **दिनांक 17.03.2023** एवं में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो अधीन आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्य की आवश्यकता के अनुसार कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय।

(23)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्त्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(24)- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(25)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

4- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं-कॉलम-11 में उल्लिाखित लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय **संख्या-E-4-112-X-2023-24 दिनांक 20.10.2023** में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-1108(1)/बावन-1-2023-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव सम्बन्धित विभाग को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत परियोजनाओं के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को यथावश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।
8. उपरोक्त तालिका के कॉलम-5 में अंकित कार्यदायी संस्था के निदेशक/प्रबन्ध निदेशक को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत परियोजनाओं के निर्माण कार्य समयान्तर्गत/गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
9. निदेशक, परियोजनाओं से सम्बन्धित विभाग।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. **सम्बन्धित जनपदों** के जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
13. लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in